कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास), जिला–सरगुजा (छ.ग.)

E-mail:-dposurguja4@gmail.com

क्र. /1799/ स्था. / मबावि / 2025–26 अम्बिकापुर दिनांक– 23-01-2026

/ /विज्ञापन/ /

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास योजना के संचालन हेतु सेवाप्रदाता स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए मिशन शक्ति के उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत वर्तमान संचालित कामकाजी महिला हॉस्टल का नाम परिवर्तित कर उसे सखी निवास योजना का संचालन करने के निर्देश जारी किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार सखी निवास हेतु जिले मे कुल 05 स्वीकृत सेवाप्रदाता पदों की पूर्ति हेतु आवेदन दिनांक 27.01.2026 से 16.02.2026 तक ऑनलाईन वेबसाईट **https://sakhiniwas.e-bharti.in/surguja** के माध्यम से आमंत्रित है पदो की नियुक्ति एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	पदनाम	पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	सेवाप्रदाता मासिक मानदेय
1	प्रबंधक	01	06	18420
2	वार्डन	01	04	14200
3	केयरटेकर	03	01	5766 ×3 (अर्द्धकालीन सेवाप्रदाता)
कुल योग		**05**	–	

- सखी निवास में समस्त कर्मचारी महिलाएं होगी।
- छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छुट हेतु जारी निर्देश लागू माने जायेंगे।

उपरोक्त पदो की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण जिले की वेबसाईट वेबसाईट www.surguja.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

विज्ञापन अनुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 16.02.2026 तक ऑनलाईन पोर्टल **https://sakhiniwas.e-bharti.in/surguja** पर की जा सकती है एवं ऑनलाईन भरे आवेदनों एवं दस्तावेजों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 27.02.2026 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–सरगुजा को उपलब्ध कराना होगा।

- ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफलाईन आवेदन पत्रों / दस्तावेजों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऑनलाईन आवेदन पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास), जिला–सरगुजा (छ.ग.)

E-mail:-dposurguja4@gmail.com

क्र./ 1800 / स्था./मबावि/2025–26 अम्बिकापुर दिनांक– 23-01-2026

//विज्ञापन//

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास योजना के संचालन हेतु सेवाप्रदाता स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए मिशन शक्ति के उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत वर्तमान संचालित कामकाजी महिला हॉस्टल का नाम परिवर्तित कर उसे **सखी निवास** योजना का संचालन करने के निर्देश जारी किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार **सखी निवास** हेतु जिले मे कुल 05 स्वीकृत सेवाप्रदाता पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित है रिक्त पद सेवाप्रदाता का होने से आरक्षण नियम लागू नही होगा। आवेदन ऑनलाईन वेबसाईट **https://sakhiniwas.e-bharti.in/surguja** के माध्यम से दिनांक 27.01.2026 से 16.02.2026 तक आमंत्रित किया जावेगा।

चयन हेतु अर्हताएं एवं मापदंड :–

a. भारत शासन के मिशन शक्ति के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार सखी निवास स्वीकृत क्षमता 50 हेतु 05 सेवाप्रदाता के पद स्वीकृत किये गये है। प्रति सखी निवास हेतु पद संरचना पर वित्त विभाग से स्वीकृत एकमुश्त वेतन का विवरण निम्नानुसार है:–

जिला सरगुजा में सखी निवास के रिक्त पदो की स्वीकृति निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	सेवाप्रदाता मासिक मानदेय
1	प्रबंधक	01	06	18420
2	वार्डन	01	04	14200
3	केयरटेकर	03	01	5766 ×3 (अर्द्धकालीन सेवाप्रदाता)
कुल योग		**05**	—	

b. भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शी निर्देश अंतर्गत सखी निवास हेतु कर्मचारियों के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हताएँ एवं वित्तीय मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

क्र	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	आयु सीमा
1	प्रबंधक	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/समाजशास्त्र में स्नातक	कम्पयूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के परियोजना/ कार्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित विषय जिसमें कामकाजी महिला छात्रावास में पर्यवेक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष कार्य का अनुभव	आयु 01.01. 2025 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
2	वार्डन	किसी भी विषय में स्नातक	कम्पयूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस मे कार्य करने हेतु दक्ष ।	महिलाओं से संबंधित कानूनों/नीतियों /कार्यक्रमों के क्षेत्र में कार्यानुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी	आयु 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
3	केयरटेकर	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/शिक्षण संस्थान से हायर सेकेंडरी/10 + 2 या समकक्ष	–	बिल्डिंग केयरटेकर तथा बहुउद्देशीय सहायक के कार्य का सुपरविजन कार्य या समकक्ष के पद पर 02 वर्ष का कार्यानुभव	आयु 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम न हो ।

c. सखी निवास में समस्त कर्मचारी महिलाएं होगी।

d. सखी निवास के संचालन हेतु कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं किया जायेगा। संस्था में संविदा आधार पर कर्मचारी के नियुक्ति के पूर्व चरित्र/अन्य संबंधी सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

e. उपरोक्त कर्मचारियों के एकमुश्त वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हे वृद्धि अनुसार ही एकमुश्त वेतन दिया जावेगा।

1. वेतन भत्ते एवं सुविधाः–

2.1 सखी निवास हेतु निर्धारित एकमुश्त वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है तथा अन्य सुविधाएं (अवकाश ,यात्रा भत्ता व्यय एवं वेतन भारत शासन की वित्तीय सीमा के भीतर) छत्तीसगढ़ राज्य में गठित राज्य संविदा भर्ती नियम के अनुसार होगा, यह पद योजना के पद है। अतः विभागीय सेटअप में शामिल नहीं किया जायेगा अपितु योजना संचालन तक भारत शासन के दिशा–निर्देशानुसार संविदा अवधि तक तथा निर्धारित संविदा वेतन पर होगे।

2.2. पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रं. 01 (a) की सारणी क्रं.04 में उल्लेखित है तथा योजनावधि में नियुक्त कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन/भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

2.3. इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संसोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. आयु सीमा एवं अनुभवः –

3.1 सखी निवास के प्रबंधक एवं वार्डन पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।

3.2 सखी निवास के शेष पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम न हो।

3.3 आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या शाला का दाखिल खारिज पंजी/कक्षा 5वी/8 वीं/10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अंकसूची की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

3.4 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित किया जावें।

3.6 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव स्व प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

3.7 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध मे नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

3.8 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।

3.9 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। आवेदक द्वारा पद का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है , स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

3.10 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

3.11 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जायेगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक इन इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यकता हो तो) के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है।

3.12 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के उपरांत के अनुभव प्रमाण पत्र को गणना में शामिल किया जायेगा।

3.13 दावा–आपत्ति के साथ कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।

3.14 कक्षा 5वी/8 वीं/10 वीं की अंक सूची में जन्म तिथि में अंतर होने पर 10 वीं में अंकित जन्म तिथि मान्य होगा।

3.15 ऑनलाईन आवेदन निर्धारित की गई तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जायेगे। आनलाईन आवेदन के अतिरिक्त ऑफलाईन आवेदन पत्र डाक के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–सरगुजा के पते पर भेजना होगा।

3.16 कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3.17 योजना के अंतर्गत एकमुश्त वेतन पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

2. नियुक्ति प्रकिया :–

4.1 मिशन शक्ति योजनांतर्गत सखी निवास के संचालन हेतु स्वीकृत 05 पदों पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होगें।

4.2 मिशन शक्ति योजनांतर्गत जिले में सखी निवास संचालन हेतु स्वीकृत पदों की नियुक्ति जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जा कर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी। चयन समिति जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेंगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगे।

4.3 जिले की चयन समिति के संयोजक जिला कार्यक्रम अधिकारी होगें। समिति में जिले के कोषालय अधिकारी, उपसंचालक रोजगार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/परियोजना अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित एक या दो अन्य अधिकारी शामिल होगें। चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी सहित महिला राजपत्रित अधिकारी का प्रतिनिधित्व हो, यह भी ध्यान रखा जावें।

4.4 चयन समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड(मैरिट)एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जायेगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडो के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली निर्धारित की जायेगी। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेगे–

4.4.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको वेटेज देते हुए 60 अंक।

4.4.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 20 अंक।

4.4.3. उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

4.4.4. वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है,वहां दोनो में 10–10 अंक होंगे।

4.4.5. अभ्यर्थियों के चयन हेतु मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा मे उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

4.5. समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रं.4.4 के उप कंडिका 4.4.1, 4.4.2 एवं 4.4.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट सूची में से प्रत्येक पद के 1.5 के अनुपात में वॉक–इन–इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी एवं चयन किया जायेगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

05. **नियुक्ति की अवधिः–**

5.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि प्रत्येक बार 01 या 02 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। संविदा की यह अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी।

5.2 नियुक्ति अवधि में सखी निवास के प्रावधान के अनुसार संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इन कर्मचारियों को अवकाश सुविधा की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय–समय पर) अनुसार ही देय होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा।

5.3 योजना के 05 पद संविदा वेतन के पद स्थायी नहीं हे तथा नियुक्त कर्मियों के द्वारा अच्छे अवसर प्राप्त होने पर त्याग पत्र दिये जाने की सतत् प्रकिया होती है। अतः इन पदों पर त्याग पत्र होने के उपरांत रिक्त हुए पदों पर पुनः नियुक्ति के अधिकार जिला कलेक्टर को ही होंगे। इस हेतु वित्त विभाग की अनुमति पुनःप्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफलाईन आवेदन पत्रो/दस्तावेजो में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो ऑनलाईन आवेदन पत्र को ही मान्य किया जायेगा।
- उक्त पदो हेतु ऑनलाईन **https://sakhiniwas.e-bharti.in/surguja** वेबसाईट के माध्यम से आवेदन दिनांक 27.01.2026 से 16.02.2026 तक ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेगें ।
- ऑनलाईन आवेदन भरने के पश्चात आवेदक समस्त दस्तावेजो सहित ऑनलाईन भरे फार्म की प्रति सहित पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 27.02.2026 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सरगुजा को प्रेषित करना होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा(छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   ....दूरभाष/मोबाईल..............................
   ई–मेल आईडी..............................
6. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :– वर्ष ....माह..............................दिन..............................
8. लिंग/पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.ज./अ.पि.व./सामान्य) जाति ....वर्ग..............................
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन संस्था में सेवारत है ?..............................
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक हस्ता0 ....

14. अन्य योग्यता का विवरण :–...

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–...

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाणपत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र
7. मूल निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
9. रोजगार कार्यालय का जीवीत पंयजीयन
10. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि

17. अन्य संलग्नों का विवरण

1. ....
2. ....
3. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

<u>घोषणा – पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान – ....

दिनांक – ....